

आदेश

कार्यवाही विवरण

13/8/21

पत्रावली कोरीना लोक डाउन घेने से काफ
पेश हुई। वकील पक्ष फायर उपर। वास्तविक
है पुनः प्रवदर चाहे पर मिस्ताह दिवने
13/9/21 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

13-9-21

पत्रावली पेश हुई। पीलासीन अधिकारी महादय
दोरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
आबन्दा दिनांक 11/11/21 को पेश हो।

11/11/21

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
गत आदेशानुसार पत्रावली आबन्दा दिनांक
को पेश हो।

19/11/22

उपस्थित अधिकारी
नवलगढ़

19/11/22

पत्रावली पेश हुई। राज्य सरकार/राजस्व मण्डल के द्वारा
कोरीना महामारी दिशा निर्देश जारी होने पर पत्रावली गत
आदेशानुसार दिनांक 23/12/22 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

23/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी
को बार-बार-रुफ रुफ कर न्यायालय
समक्ष तब आवका लजवाई गई, परन्तु इनके
ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नहीं
आया। इससे स्पष्ट होता है कि वादी को
अपने वाद पर कोई रुचि नहीं है। फलस्वरूप
वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पेशी के
खारिज किया जाता है। निरिम खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

सहायक क्लर्क एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़